

पटना में दिनांक-23 सितम्बर, 2026 बुधवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

उच्च शिक्षा विभाग

1. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय, बेगूसराय की स्थापना की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय स्थापना के क्रम में पदाधिकारी/कर्मियों के वेतनादि हेतु रु० 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रु०) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

2. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत माँ सीता महिला विश्वविद्यालय, पटना, बिहार की स्थापना की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय स्थापना के क्रम में पदाधिकारी/कर्मियों के वेतनादि हेतु रु० 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रु०) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. 'माँ सीता' के स्थान पर 'माता सीता' संशोधन करते हुए स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

3. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपबंधित राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लिमिटेड को पांच समान किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

3. स्वीकृत।

गृह विभाग

4. जिला पुलिस, रेल पुलिस, बि०वि०स०पु०, मद्य-निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना के सुदृढीकरण तथा लोक भवन के उपयोग के लिए उपकरणों/उपस्करणों के क्रय हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹3368.50 लाख (तैंतीस करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

गृह विभाग

5. केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना (ASUMP) अन्तर्गत Crowd Control & Management, Riverine/ Naxals Anti-crime Operations, Disaster Management etc. आदि को ध्यान में रखते हुए कुल 50 अद्द ड्रोन के क्रय हेतु कुल लागत राशि ₹2450.00 लाख (चौबीस करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।
5. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कंपनी एक्ट-2013 (Companies Act-2013) के तहत मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित "बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (Bihar Jal Sansadhan Vikas Nigam Limited)" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
6. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में राज्य स्कीम "मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना" की स्वीकृति हेतु कुल रूपये 1,60,00,10,000/- (एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

8. सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रूपये 1,26,07,00,000/- (रूपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्सड राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

9. बिहार राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढीकरण एवं मानकीकरण हेतु "बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढीकरण नीति" की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. नगर निगम, पटना को वर्ष 1993-1994 से 2004-2005 तक उनके निकाय कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु बिहार सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गयी राशि ₹41,00,41,074/- (एकतालीस करोड़ एकतालीस हजार चौहत्तर रुपये) को अनुदान के रूप में समायोजित करते हुए उसके UC/DC की अनिवार्यता को शिथिल किये जाने की स्वीकृति।
10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. नवादा जिलान्तर्गत अंचल-वारिसलीगंज, मौजा-मकनपुर, थाना सं०-474, खाता सं०-927 एवं 926 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-99.39 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) अनावाद सर्वसाधारण एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर चीनी मिल की स्थापना हेतु गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. कटिहार जिलान्तर्गत अंचल-कटिहार, मौजा-दलन, थाना सं०-77 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-35 डी० सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की स्वामित्व की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) आई०बी० पोस्ट कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-99,75,000/- (निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल-जहानाबाद, मौजा-एरकी, थाना सं०-346, खाता सं०-470, खेसरा सं०-948 की कुल प्रस्तावित रकवा-17.02 डी० कैसर-ए-हिन्द की भूमि एस०आई०बी० के कार्यालय-सह-आवासीय भवन के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-1,07,22,600/- (एक करोड़ सात लाख बाईस हजार छः सौ रुपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

14. बिहार बॉयलर (जॉच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की आश्रित पत्नी श्रीमती कनक कुमारी की अनुकम्पा के आधार पर बिहार सरकार में नियुक्ति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत जी०पी०ओ० गोलम्बर के नजदीक Multi-Model Hub को पटना जंक्शन से जोड़ने हेतु निर्मित भूमिगत (Sub-Way) का अधिकारिक नामकरण "आचार्य किशोर कुणाल सब-वे" किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. राज्य के 12 चिकित्सीय संस्थानों में नामांकन के आधार पर C-DAC द्वारा विकसित e-Sushrut NX Application को लागू करने तथा इस पर 3 वर्षों के लिए होने वाले व्यय की राशि रु० 29,79,85,000/—(रुपये उनतीस करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में 2 वर्षों के लिए रु० 10,98,39,000/—(रुपये दस करोड़ अठानवे लाख उनतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजना की अवधि विस्तार किये जाने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

18. बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में। 18. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

19. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत "ट्रांसफार्मिंग सीवान वेटलैण्ड्स कलस्टर टू ऐन एन्टीग्रेटेड एक्वाकल्चर एण्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड (FIDF) ऐट बसंतपुर, भगवानपुर हाट एण्ड गोरियाकोठी" की योजना हेतु ₹1,95,28,00,000/—(एक सौ पंचानवे करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की लागत पर योजना की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

20. केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण" अन्तर्गत "एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना" के तहत राज्य में दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना के तहत विभिन्न कोटि के कुल 81 (इक्यासी) पदों के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 5,21,73,000/—(पाँच करोड़ इक्कीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के व्यय पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।

विधि विभाग

21. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जयन्ती पर 02 अक्टूबर, 2026 को एक बारगी उपाय (One time measure) के तहत दोषसिद्ध बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने के संबंध में। 21. स्वीकृत।

गृह विभाग

(कारा)

22. SMWP (Civil) No(s).-10/2024, Re: Discrimination Inside Prisons In India में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-30.07.2026 एवं 10.09.2026 को पारित आदेश के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-743 में संशोधन की स्वीकृति। 22. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

23. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लंबित मामलों के प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु "समन्वय पोर्टल" विकसित किये जाने के निमित्त बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-1313 (त) के तहत नामांकन के आधार पर NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) का चयन की स्वीकृति के संबंध में। 23. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

24. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्वद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के वेतन, दैनिक भत्ता एवं आतिथ्य भत्ता में संशोधन के संबंध में। 24. स्वीकृत।